उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय–लखनऊ

परिपत्र संख्या–सी–115 /लेखा/16–17 **दिनांक 27 .02.2017**

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

कृपया प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या–सी0 108/लेखा/2016–17 दिनांक 06.02.2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वसूली की 50 प्रतिशत धनराशि प्रधान कार्यालय को प्रेषित करने एवं अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपभोग शाखा स्तर पर बैंक के अन्य कार्यो में किये जाने के निर्देश दिये गये है। प्रधान कार्यालय के संज्ञान में आया है कि प्रदेश की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत बैंक कर्मियों को विगत माह से वेतन नहीं मिल पा रहा है। इसी क्रम में प्रधान कार्यालय में वेतन भुगतान हेतु प्राप्त अनुरोध पत्रों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये 16 शाखाओं को एक माह के वेतन भुगतान हेतु धनराशि प्रेषित की गई है।

अतः ऐसी शाखायें जिनके द्वारा वेतन भुगतान में कठिनाई हो रही है,को निदेशित किया जाता है कि दिनांक 28.02.2017 से दिनांक 04.03.2017 तक की अवधि में वसूल की गई धनराशि को प्रधान कार्यालय न प्रेषित कर वेतन भुगतान में उपयोग किया जाय। दिनांक 06.03.2017 से पूर्व की भांति 50 प्रतिशत धनराशि प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

ह0/–
(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलीय/जनपदीय पर्यवेक्षक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय–लखनऊ ।
2. समस्त अधिकारीगण ,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय–लखनऊ।
3. प्राचार्य,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रशिक्षण केन्द्र–लखनऊ।
4. .प्रबन्धक श्रेणी–2(ITCell) उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय लखनऊ को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने हेतु।

ह0/–
(ए0के0शुक्ला)
म्हाप्रबंधक